प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानुपर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रवस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2017–18/ 5042-70 **दिनांक** 21**/08/2017**

विषय–जनपद/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, स्तर पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि एन0एफ0एच0एस0–IV (वर्ष 2016) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 15 लाख बच्चे Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित हैं अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। Severe Acute Malnutrition (SAM) एक गंभीर समस्या है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 09 गुना अधिक होती है। मुख्य रुप से 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तथा Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जाती है:

- 01–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम।
- 02–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम।
- 03–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

गंम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के लिये जनपदों में क्रियाशील **पोषण पुनर्वास केन्द्रों** (NRCs) के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/मेडिकल कालेजों में क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है

इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2016–17/5893–70, दिनांक 29.09.2016 के माध्यम से पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग एवं पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं–

01– उद्देश्य–

- 05 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

02– पोषण पुनर्वास केद्रों में भर्ती एवं उपचार के लिए निम्नलिखित जटिलताओं से ग्रस्त SAM बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- हाइपोग्लाइसीमिया।
- दस्त से ग्रसित बच्चे में तीव्र पानी की कमी के लक्षण।
- बच्चा दिखने में बहुत कमजोर हो।
- पीटिंग एडीमा– दोनो पैरो का।
- उदासीनता या बेहोशी या उनींदापन।
- चिड़चिड़ापन या बेचैनी।
- सांस लेने में किसी तरह की परेशानी।
- हथेलियों का पीलापन (एनिमीया)।
- भूख न लगना।
- बुखार या ठण्डा बुखार।
- तीव्र निमोनिया।
- अन्य किसी जटिलता के लक्षण जो चिकित्सक के अनुसार भर्ती योग्य हो।

03–पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–

1. संदर्भित किये गए बच्चों की पुनः जॉच कर SAM की पहचान ।
2. SAM बच्चों को भर्ती कर जटिलताओं (हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डीहाइड्रेशन) का प्रोटोकाल के अनुरूप प्रबंधन।
3. भर्ती मानक के अनुसार वार्ड में भर्ती बच्चों को एण्टीबायोटिक्स–(आइ0वी0 व ओरल) से इलाज।
4. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
5. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों में सुधार हेतु पूरक खुराक देना।
6. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
7. माँ एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
8. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
9. पोषण पुनर्वास केन्द्र में डिस्चार्ज के बाद हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।
10. माँ को निःशुल्क आहार दिया जाता है।

04– वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि को निम्ननुसार व्यय किया जाय।

A– ऑपरेशनल कास्ट–

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये आर0ओ0पी0 के **FMR Code-A.2.5** पर ऑपरेशनल कास्ट मद में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु औषधियों (**चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगीं तथा एन0आर0सी0 प्रोटोकाल के अनुसार यदि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये)**
- मेडिकल कालेज के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि EDL में उपलब्ध एन0आर0सी हेतु आवश्यक दवाओं की लिस्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समय से उपलब्ध करायें। **मेडिकल कॉलेजों को EDL के अन्तर्गत उपलब्ध दवाईयां एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेडिकल कालेजों में संचालित इकाइयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0)/नोडल अधिकारी की होगी।**
- कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, मॉ के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फॉलोअप आदि का वहन तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। ऑपरेशनल कास्ट मद हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Budget for NRCs (2017-18)	तालिका–1
S. N.	**Item**
A	**Operational Cost *(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Food for children @ Rs. 75 per child/day
2	Daily wage compensation Rs. 50 per day and Rs. 50 for mother's food per mother/day
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)
5	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be Localy purchased.
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

B- मानव संसाधन–

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **FMR Code-B.30.8.1 पर संविदा चिकित्सा अधिकारी–** जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 चिकित्सा अधिकारी के अनुसार 76 इकाईयों के 76 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी को रू0 45,000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय तथा 76 इकाईयों के 76 चिकित्सा अधिकारी राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0) प्रदान किये जाने हेतु प्रति चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रू0 15,000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह हेतु **परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0) प्रदान किये जाने हेतु पृथक से राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेगें संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **FMR Code-B.30.8.2 पर संविदा स्टाफ नर्स–** जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत 214 संविदा स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु प्रति स्टाफ नर्स को रू0 20013/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय तथा शेष 84 स्टाफ नर्स को, प्रति स्टाफ नर्स को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **FMR Code-B.30.8.3 पर संविदा कुक (रसोईया) (नवीन तैनाती/भर्ती आउट सोर्सिगं के माध्यम से)–** जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 कुक (रसोईया) के अनुसार 76 इकाईयों के 76 कुक (रसोईया) के मानदेय हेतु प्रति कुक (रसोईया) को रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **FMR Code-B.30.8.3 पर संविदा केयर टेकर (नवीन तैनाती/भर्ती आउट सोर्सिगं के माध्यम से)–** जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 केयर टेकर के अनुसार 76 इकाईयों के 76 केयर टेकर के मानदेय हेतु, प्रति केयर टेकर को रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।** मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **FMR Code-B.30.8.5 पर संविदा न्यूट्रिशनिस्ट–** जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार 76 इकाईयों के 76 न्यूट्रीशनिस्ट, पूर्व से कार्यरत **55 न्यूट्रीशनिस्ट** के मानदेय हेतु प्रति न्यूट्रीशनिस्ट को रू0 18191/– प्रतिमाह की दर से 04 माह हेतु तथा **19 न्यूट्रीशनिस्ट** का मानदेय, प्रति न्यूट्रीशनिस्ट को रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय तथा शेष **02 न्यूट्रीशनिस्ट** का मानदेय प्रति न्यूट्रीशनिस्ट को रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।** मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **FMR Code-B.30.8.5 पर सफाई कर्मियों (आउटसोर्सिगं के माध्यम से)**– जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत की 01 प्रति इकाई सफाई कर्मी के अनुसार 76 इकाईयों के 76 सफाई कर्मियों के मानदेय हेतु प्रति सफाई कर्मियों को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**

C- गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप हेतु लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है।

- **आशा एवं आगनवाड़ी (सन्दर्भन–प्रतिपूर्ति राशि)**– भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-B1.1.3.2.5 पर पोषण पुर्नवास केन्द्रों में Severe Acute Malnutrition-SAM बच्चों को संदर्भन प्रतिपूर्ति रू0 50/– प्रति बच्चे तथा 4 फॉलोअप कराने हेतु रू0 100/– इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रू0 150/– की धनराशि आशा एवं आंगनवाड़ी को फालोअप/सन्दर्भन–प्रतिपूर्ति राशि हेतु धनराशि का स्वीकृत की गयी है। **स्वीकृत की गयी धनराशि संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।**
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (RBSK) ब्लाक पर 4Ds (दोष, रोग, विकास में विलंब, स्वास्थ्य संबंधी कमियों) की पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप करना आर0बी0एस0के0 का दायित्व है, अतः आर0बी0 एस0के0 टीम के लिए Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्रों में सन्दर्भन एवं भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहन राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद/मेडिकल कॉलेज/सी0एचसी0 को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि रिवैलिडेट/कमिटेड की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेख्या प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
9. इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

05– पोषण पुनर्वास केन्द्र के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0आर0सी0 में चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु मानव संसाधन अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर** प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नियुक्ति की जायेगी।
- **वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कुक (रसोईया), केयर टेकर एवं सफाई कर्मी के पद यदि रिक्त हैं या नवीन पद हैं तो इन कर्मियों को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा।**
- **कुक (रसोईया), केयर टेकर, (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) पर कुक (रसोईया) एवं केयर टेकर को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **01 कुक (रसोईया)**, एवं 01 केयर टेकर की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति **कुक (रसोईया)/केयर टेकर** रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- **सफाई कर्मी (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) पर सफाई कर्मी को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **01** सफाई कर्मी की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय **प्रति सफाई कर्मी को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।**

06– मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दायित्व–

- **संचालन से सम्बन्धित**

- एन0आर0सी0 के क्रियान्वयन में समस्याओं की पहचान करने हेतु एन0आर0सी0 का प्रत्येक माह में कम से कम एक बार भ्रमण करें और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ मिलकर उन समस्याओं के निर्वाहन हेतु कार्य करें।
- जिला पोषण समिति की बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सामने लाने और उनके समाधान हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- **जिला स्तरीय टीम द्वारा प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर संयुक्त रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं कार्यरत मानव संसाधन के कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा एवं टीम द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया जायेगा जिला स्तरीय टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक शामिल होंगें।**

- **सन्दर्भन से सम्बन्धित–**

- आशा द्वारा सन्दर्भन करने हेतु Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes के इस्तेमाल में उनका प्रशिक्षण आयोजित करवाना सुनिश्चित करें।
- यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वी0एच0एन0डी0 के दौरान आंगनवाडी द्वारा चिहिंत लाल श्रेणी के बच्चों की आवश्यक रुप से Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes द्वारा ही जॉच की जाए।
- ब्लाक सन्दर्भन सुनिश्चित करने हेतु मासिक आधार पर निरीक्षण कर ऐसे ब्लाक की पहचान करना जहां से सन्दर्भन नहीं हो रहा है और इस विषय में उपयुक्त कार्यवाही करें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थित चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर स्थित आशाओं को जिला चिकित्सालय में स्थित एन0आर0सी0 में उपलब्ध सेवाओं, के बारे में जानकारी दी जाये और इसके लिये माह में एक दिन **(जनपद द्वारा सुनिश्चित कर)** ब्लाक स्वास्थ्य टीम के भ्रमण एवं सेंसटाईजेशन हेतु निश्चित किया जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगले तीन माह के भीतर सभी ब्लाक टीमों का एक सेंसटाईजेशन हेतु भ्रमण करवाना अनिवार्य होगा।

07– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के दायित्व –

- **संचालन से सम्बन्धित –**

- **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल में स्थित पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)** का प्रतिदिन भ्रमण कर उसका उत्तम संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही पोषण पुनर्वास केन्द्र की संचालन सम्बन्धी समस्याओं (यदि कोई पायी जाती है तो) की पहचान कर उसके समाधान हेतु एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही करें।
- **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुनिश्चित करें कि पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)** में नियुक्ति संविदा कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नियम एवं समय अनुसार करें। जिसके लिए जरुरी होगा कि एन0आर0सी स्टाफ हेतु

अटेंडेंस रजिस्टर अनुरक्षित रखा जाए। यदि ऐसा पाया जाता है कि कार्यरत स्टाफ अपना कार्य समय एवं अनुशासन से नहीं कर रहे हैं उस स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अनुशासत्मक कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

- **इस बात का ध्यान रखें कि एन0आर0सी0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय। पर्येवेक्षण/फीडबैक में यदि इसकी पुनरावृत्ति पायी जाती है तो इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में संविदा पर कार्यरत स्टाफों को समय एवं अनुशासन से कार्य न करने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुशासत्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत संविदा मानव संसाधन का मासिक मानदेय सामान्य स्थिति में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से आगामी माह की 10 तारीख तक आहरित किया जाना अनिवार्य होगा।
- एन0आर0सी0 से छुट्टी किये गये बच्चे की माताओं/संरक्षक को प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान बच्चे की छुट्टी के दो माह के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की होगी।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से यह भी अपेक्षित है कि वे प्रति माह वित्त पोषण के अंतर्गत समाहित ऑपरेशनल कास्ट तथा मानव संसाधन पर बिन्दुवार खर्च एवं भुगतान की समीक्षा करें एवं किए गए खर्च को मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में एस0ओ0ई में बुक करवायें।
- सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदा कर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
- सुनिश्चित करें की यदि कोई बच्चा एन0आर0सी0 में संदर्भित किया गया है और वह अति जटिल अवस्था में पाया जाता तो कार्यवाही करें।
- यदि बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सालय में उपलब्ध हैं तो बच्चे की जांच व प्रारंभिक उपचार उनकी देखरेख में किया जांए अथवा यदि आवश्यक हो तो बच्चे को प्रारंभिक उपचार हेतु बाल रोग विभाग में स्थानान्तरित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायें।
- यदि चिकित्सालय में बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं तो चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा आवश्यक परीक्षण करवा कर और उनकी सलाह के अनुसार ही बच्चे को उचित उपचार हेतु एन0आर0सी0 में भर्ती किया जाये।
- एन0आर0सी0 तथा डायरिया इनडोर/ओ0पी0डी0 में लिंक स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि डायरिया से ग्रसित सभी बच्चों को SAM स्क्रीनिंग हेतु एन0आर0सी0 में संदर्भित किया जाए।
- एन0आर0सी0 में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में बालरोग विभाग के किसी चिकित्सक को नोडल अधिकारी नामित कर इकाई के भर्ती बच्चों की देख रेख सुनिश्चित करें।
- एन0आर0सी0 में भर्ती बच्चों का उपचार व प्रबंधन मार्गदर्शिका में दिए 10 चरणों के अनुसार हो रहा हो।
- सफाई कर्मी का पद भी रिक्त है तो चिकित्सालय में तैनात सफाई कर्मी द्वारा एन0आर0सी0 वार्ड, रसोई एवं प्ले ऐरिया की सफाई उपयुक्त आदेश देकर सुनिश्चित कराये।

- **<u>सन्दर्भन से सम्बन्धित –</u>**

- प्रत्येक माह एन0आर0सी0 स्टाफ (चिकित्साधिकारी एवं न्यूट्रीशनिस्ट) को कम से कम दो ब्लाक पर भेज कर वहॉ स्थित स्वास्थ्य कर्मियों की एन0आर0सी0 की सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाये।
- एन0आर0सी0 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थित चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर स्थित आशाओं के भ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराना और उनका एन0आर0सी0 में दी जाने वाली सेवाओं, Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes के इस्तेमाल जैसे विषयों में उन्मुखीकरण सुनिश्चित करवाएं।

<u>08– मानव संसाधन–</u>

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर निम्न मानव संसाधन की तैनाती–

▪ चिकित्सा अधिकारी	–01	(संविदा पर)
▪ न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर	–01	(संविदा पर)
▪ स्टाफ नर्स	–04	(संविदा पर)
▪ कुक (रसोईया)	–01	(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)
▪ केयर टेकर	–01	(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

- सफाई कर्मी –01 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

8.1–चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व –

- **वार्ड से सम्बन्धितः–**

- एन0आर0सी0 में भर्ती गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना चिकित्सा अधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा।
- सुनिश्चित करें कि भर्ती किये गये बच्चो का उपचार मार्ग दर्शिका में दिये गये गंभीर रूप से कुपोषित बच्चो के प्रबन्धन हेतु मानकीकृत प्रोटोकाल के अनुसार हो। इसके लिए जरूरी होगा कि भर्ती करने के समय बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डीहाइड्रेशन एवं किसी अन्य संक्रमण के लक्षणों की जॉच की जाये।
- चिकित्सा अधिकारी को प्रातः 9:00 बजे से 4:00 बजे तक एन0आर0सी0 में अनिवार्यतः उपस्थित रहकर बच्चों की देखभाल करनी होगी।
- इसके अलावा सायं 4:00 बजे के बाद यदि कोई अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके प्रबन्धन की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी की होगी।
- भर्ती बच्चों को जो दवाईयां एवं सुक्ष्म पोषक तत्व दिये जाने हैं उस पर स्टॉफनर्स को आवश्यक निर्देश देना सुनिश्चित करें।
- यह सुनिश्चित करें कि वार्ड राउण्ड के दौरान सभी बच्चों के वाईटल स्टैटस–प्लस, रेसपीरेटरी रेट, तापमान आदि नापे जाये। चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्टाफनर्स को ऐसे गम्भीर बच्चों की सूची दिया जाना अनिवार्य होगा जिनके वाईटल स्टैटस प्रत्येक 2–3 घण्टे में नापे जाने की आवश्यकता है।
- वार्ड राउण्ड के दौरान व्यक्तिगत तौर पर भर्ती बच्चों के परिवार से यह पुछकर सुनिश्चित करें कि रात में फीड समय अनुसार दी जा रही है।

- **रसोई/आहार से सम्बन्धितः–**

- जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को फीड का प्रकार (F75 or F100) एवं उसकी मात्रा तय करने में सहयोग देना।
- चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें की सभी बच्चों (सिवाय ऐसे बच्चे जो दस्त से ग्रसित हैं या जिनकी आयु छः माह से कम है) को भर्ती करने के तुरन्त बाद उनका एपेटाइट टेस्ट न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा किया जाए। यदि न्यूट्रीशनिस्ट उपलब्ध न हो तो एपेटाइट टेस्ट स्टॉफ नर्स द्वारा चिकित्सा अधिकारी के सामने किया जाएगा।

- **आपूति से सम्बन्धितः–**

- औषधियों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता चिकित्सालय से सुनिश्चित करवाना। यदि कोई औषधियों एवं सूक्ष्म पोषक तत्व चिकित्सालय के दवा खाने में उपलब्ध न हो तो समय रहते उसकी खरीद सुनिश्चित करें।
- एन0आर0सी0 में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण (ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, वजन की मशीन, लम्बाई व उचाई नापने की मशीन आदि) उपलब्ध हो तथा सुचारू रूप से काम कर रहे हो, यह सुनिश्चित करना चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य होगा।

- **सन्दर्भन से सम्बन्धित –**

- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना एवं एन0आर0सी0 के चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली पोषण मिशन की बैठक में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।
- माह में दो बार ब्लाक स्तरीय भ्रमण कर आशा/आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ बैठक कर उन्हें SAM बच्चों की पहचान करने के मापदण्ड, SAM बच्चों के सन्दर्भन एवं उन्हें भर्ती कराने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी देना एवं SAM बच्चों का सन्दर्भन बढाने हेतु प्रेरित करना। भ्रमण के लिये वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय स्थापित कर की जा सकती है। इस कार्य हेतु ऐसे ब्लाक को प्राथमिकता दी जाएगी जहां से संदर्भन कम है।

- **निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग से सम्बन्धितः–**

- यह सुनिश्चित कर लें कि एन0आर0सी0 का कार्य उचित तरीके से हो रहा है चिकित्सा अधिकारी को सप्ताह में 1 बार स्पाट चेक कर निम्न जाँच करे।
  - ✓ बच्चों का वजन प्रति दिन किया जा रहा हो।
  - ✓ उन्हें समय अनुसार सही मात्रा में निर्धारित की गई फीड दी जा रही हो।
  - ✓ सैम चार्ट सही तरीके से भरा गया हो।
  - ✓ रात की फीड समय के अनुसार एवं सही मात्रा में दी जा रही हो।
  - ✓ फॉलोअप के लिए कितने बच्चे आए।

यदि स्पाट चेक के दौरान कोई समस्या पायी जाती है तो उसके निवारण हेतु सम्बन्धित कर्मियों का प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- सैम चार्ट में भाग–6 और 8 को नियमित रूप से भरना एवं सैम चार्ट और एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन कर माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी/ महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना।
- सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना।

नोट – चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाहन स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट और नोडल अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा।
स्टाफ नर्स – चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व में क्रम संख्या 6, 10, 11, 15 (नोडल अधिकारी के साथ परामर्श कर के)
न्यूट्रीशनिस्ट– चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व क्रम संख्या 8, 9, 12, 13, 15 (मासिक रिपोर्ट के सन्दर्भ में स्टाफ नर्स के साथ समन्वय)
नोडल अधिकारी (प्रभारी चिकित्साधिकारी)–चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व क्रम संख्या 1, 4, 5, 7, 14

8.2–न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व –

- **वार्ड से सम्बन्धितः–**

- न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक एन0आर0सी0 में कार्य करेगी।
- प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय कर थेराप्यूटिक फीड तय करेंगी।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बताएगी एवं सैम चार्ट में अंकित करेगी।
- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, छुट्टी के पश्चात आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चे के वज़न की जॉच, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर परामर्श पुस्तिका की सहायता से प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- इसके अतिरिक्त न्यूट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वज़न में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, औषधियाँ एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।

- **रसोई/आहार से सम्बन्धितः–**

- रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में रसोइये को निर्देशित करना होगा।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उसका ब्यौरा आपूर्ति रजिस्टर में अंकित करना।

- **सन्दर्भन एवं फालोअप से सम्बन्धितः–**

- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार–प्रसार करना आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid

Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

- न्यूट्रीशनिस्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चो की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार/आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो–अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।

- **निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग से सम्बन्धितः–**

- न्यूट्रीशनिस्ट को समय–समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि रसोईयां, सफाई कर्मी एव केयर टेकर अपना काम सही ढंग से करे और एन0आर0सी0 वार्ड और रसोई की साफ सफाई व स्वच्छता बनी रहे।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चो के सैम चार्ट व एन0आर0सी0 रजिस्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट की होगी।
- न्यूट्रीशनिस्ट को चिकित्सा अधिकारी के न होने की स्थिति में स्टाफ नर्स के साथ मिलकर भौतिक रिपोर्ट तैयार करवानी होगी जिसे आगामी माह की 05 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी/ महानिदेशक परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एचएम0 उ0प्र0 को प्रेषित करना।
- सैम चार्ट में` भाग 5, 7, 10, 11, 13 एवं 12 का डाईट और फीडिंग प्लान वाले हिस्से को नियमित रूप से भरने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट की होगी।
- वेब–बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिंग का कार्य भी न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा किया जायेगा। **(राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर)**
- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें।

8.3–स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :–

- **वार्ड से सम्बन्धितः–**

- स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8–8 घंटे की होगी।
- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना और सुनिश्चित करना की भर्ती किये गये बच्चों के वाइटल स्टैटस की जॉच कम से कम दो बार की जाये।
- चिकित्सक के अनुसार हर बच्चे को औषधि देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार औषधियों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार औषधियों देने के पश्चात उसे सैम चार्ट में अंकित करना।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ–सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वज़न लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर औषधि देना आदि, डिस्चार्ज संबंधी सूचना के रखरखाव, चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की अनुपस्थिति में बच्चों का नियमित रूप से वजन लेना और उसे सैम चार्ट में अंकित करना।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संन्तुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देना।

- **रसोई/आहार से सम्बन्धितः–**

- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार दिया जायेगा।
- रात में बच्चे की फीड इकाई में कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा दी जायेगी तथा ग्रहण की गई मात्रा सैम चार्ट में अंकित की जायेगी।

- यदि अवकाश के दिन किसी भी समय स्टॉफ नर्स को यह लगता है कि बच्चे के निर्धारित डाईट से बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है या बच्चा उसे नहीं ले पा रहा है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की फीड में बदलाव न्यूट्रीशनिस्ट/चिकित्सक के साथ परामर्श करके ही किया जाएगा।

- **आपूर्ति से सम्बन्धितः–**

- पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना एवं उसे समय रहते इनडेन्ट करवाए।
- यह सुनिश्चित करें कि पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध समस्त उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों। यदि कोई उपकरण क्रियाशील नहीं है तो इसकी सूचना चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को देकर उसकी मरम्मत शीघ्र अतिशीघ्र करवाए।

- **रिकार्ड रखने व रिपोर्टिगं से सम्बन्धितः–**

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध समस्त उपकरणो, बच्चो के डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम के रख–रखाव की जिम्मेदारी स्टाफ नर्स की होगी।
- न्यूट्रीशनिस्ट व चिकित्सा अधिकारी के न होने की स्थिति में स्टाफ नर्स को मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करनी होगी एवं समय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महानिदेशक परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एचएम0 उ0प्र0 को प्रेषित करना।
- सैम चार्ट में भाग–1, 2, 3, 4, 9 और 12 (डाईट और फीडिंग प्लान वाले हिस्से के अतिरिक्त) को नियमित रूप से भरने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्टाफ नर्स की होगी।
- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- इकाई में आने वाली आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

8.4–रसोईया के कार्य एवं दायित्व –

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनो को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- समय समय पर वार्ड की निगरानी कर, खासतौर पर माताओं के भोजन ग्रहण करने के समय यह सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चे को निर्धारित फीड के अतिरिक्त कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुटटी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोईया अपनी डूयूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में डूयूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।
- रसोईया एवं केयर टेकर को आपस में सामंजस्य स्थापित कर माँ एवं परिजन के आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करवानी होगी।
- सभी माताओ को अपने द्वारा इस्तेमाल किये गये बर्तनों को स्वयं धोने के लिये प्रोत्साहित करना।

8.5– केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व –

- केयर टेकर को वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई प्रतिदिन सुनिश्चित करनी होगी।
- यह सुनिश्चित करना की बच्चो के बिस्तर के चादर बदली जाये और उसे नियमित रूप से लाण्डरी के लिये भेजा जाये।
- प्रत्येक बच्चे, उसके माता–पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ–सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।

- रसोईये की अनुपस्थित में न्यूट्रीशनिस्ट की निगरानी में भर्ती बच्चो की फीड तैयार करना।
- समय समय पर वार्ड की निगरानी कर, खासतौर पर माताओं के भोजन ग्रहण करने के समय यह सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चे को निर्धारित फीड के अतिरिक्त कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- प्रत्येक बच्चे का मनो–सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।
- इन्डेन्ट की गयी सामग्री की प्रतिपूर्ति चिकित्सालय के स्टोर एवं डिस्पेंसरी से सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित आहार खिलाएं।

फीड बनाने का दायित्व रसोइया एवं केयर टेकर के मध्य बांटा जाएगा। उन्हें 15–15 दिन की शिफ्ट डयूटी कर सुबह एवं रात में एन0आर0सी का काम संभालना होगा।

सुबह की डयूटी का समय : 9:30 से 17:30
रात की डयूटी का समय : 20:00 से 8:00

8.6–सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :–

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेगें। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारें में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

09– गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)–

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम
	2–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम
	3–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।
6 माह से कम उम्र के बच्चों	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये) 2–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा। 3–देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलताये हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

एन0आर0सी0 में भर्ती एवं उपचार के लिए जटिलताओं से ग्रस्त गंभीर कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि कोई बच्चा केवल सैम के मानक के अनुसार गम्भीर रूप से कुपोषित घोषित किया जाता है तो उसे उपचार हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों में एन0आर0सी0 में भर्ती किया जायेगा।

1. यदि एन0आर0सी0 में भर्ती हेतु बेड खाली हो।
2. यदि घर में बच्चे की सम्पूर्ण देखभाल करना सम्भव नहीं हो।
3. यदि माँ/देख भालकर्ता बच्चे के साथ एन0आर0सी0 में उसके ठीक होने तक रूकने के लिये तैयार हो।

नोटः–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय। जो बच्चे दो सप्ताह के उपरान्त भी केंद्र मे भर्ती रहेंगे उनको यथावत धनराशी देय होगी।
2. आंगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका "मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स' (MUAC) 11.5 से. मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।

3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0/आशा/ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले MUAC tapes 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

10– बच्चों के छुट्टी के मानकः–

- वज़न में 15 प्रतिशत की वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना।
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

11– कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।
- किसी भी फॉलोअप के दौरान अगर बच्चे का weight-for-height/length **SD score**-1SD अथवा **MUAC** Tapes 12.5 cm या उससे अधिक हो तो बच्चे को आगामी फॉलोअप विजिट से छूट दी जा सकती है।
- सप्ताह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जाये तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी जाय।

12– रिपोर्ट का प्रेषण –

पोषण पुनर्वास केन्द्रों की मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति एवं फालोअप के प्रेषण हेतु **प्रारूप संलग्न** किया जा रहा है साथ ही इन प्रारूपों के उपयोग हेतु एक मार्ग दर्शिका भी संलग्न की जा रही है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 05 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजी जाये। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाये। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

13– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (**प्रोटो टाइप संलग्न**) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3 फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जाये अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी/आशाओं को बताया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उ0प्र0 एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2017–18/ दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **सम्बन्धित मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. **महानिदेशक,** राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **महानिदेशक, चिकित्सा** शिक्षा, जवाहर भवन लखनऊ।
7. **निदेशक,** आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
9. **सम्बन्धित जिलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
11. **कुलपति,** अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़।**
12. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी।**
13. **विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग,** कोऑर्डिनेटर, एन0आर0सी0 जे0एन0 मेडीकल कॉलेज **अलीगढ,** एम0 एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद,** जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर,** बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर,** आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
14. **सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,** जिला पुरूष चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
15. **प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक**, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
16. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
17. **न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट**, यूनिसेफ, बी–3/258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

क्र0सं0	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाये।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चे की माँ/परिजन को निशुल्क आहार उपलब्ध कराया जाता है।
4	102 एम्बुलेंस से केन्द्र में बच्चों को लाने और छोड़ने की सुविधा निशुल्क दी जाती है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क है।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की मॉ को रू0 50 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	आशा/ऑगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा / ऑगनवाड़ी को रू0 50 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। आशा/ऑगनवाड़ी द्वारा डिस्चार्ज के पश्चात बच्चे के 4 फॉलोअप कराने पर अतिरिक्त रू0 100/– प्रति बच्चा दिया जायेगा।
6	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फॉलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 4 बार दिखाना चाहिये।
7	बच्चे को फॉलोअप के लिये लाने पर मॉ को एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 एवं प्रति बच्चे को खाने के लिए अतिरिक्त रू0 40/– प्रति बच्चे दिया जायेगा।
8	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
9	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

<u>नोट</u>– ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व पारदर्शिता के लिये 2 फीट चौडे व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवाकर 1 पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1 केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग करायी जाय।

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18									
				Operational cost	Medical officer				Staff Nurse			Cook	
					No.	Medical Officer @45000/month for 4 months	Performance Based Incentive upto @ Rs. 15000/month for 4 months	Total Honorarium of Medical officer	Old, SNs @20013/Month for 4 months	New, SNs @18150/Month for 4 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Old Cook @8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cook
S.N.	Districts	S.N.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FMR Code				A.2.5	B.30.8.1				B.30.8.2			B.30.8.3	
1	Agra	1	Agra	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
2	Aligarh	2	Medical College Aligarh	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
3	Allahabad	3	Medical College Allahabad	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
4	Ambedkar Nagar	4	Ambedkar Nagar	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
5	Amroha (JP Nagar)	5	Amroha (JP Nagar)	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
6	Azamgarh	6	Azamgarh	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
7	Baghpat	7	Bagpat	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
8	Bahraich	8	Bahraich	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
9	Ballia	9	Ballia	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
10	Balrampur	10	Balrampur	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
11	Banda	11	Banda	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
12	Barabanki	12	Barabanki	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
13	Bareilly	13	Bareilly	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
14	Basti	14	Basti	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
15	Bijnor	15	Bijnor	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
16	Budaun	16	Badaun	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
17	Bulandshahar	17	Bulandshahar	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
18	Chandauli	18	Chandauli	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
19	Chitrakoot	19	Chitrakoot	260000	1	180000	60000	240000	3	1	312756	1	32000

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18									
				Operational cost	Medical officer				Staff Nurse			Cook	
					No.	Medical Officer @45000/month for 4 months	Performance Based Incentive upto @ Rs. 15000/month for 4 months	Total Honorarium of Medical officer	Old, SNs @20013/Month for 4 months	New, SNs @18150/Month for 4 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Old Cook @8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cook
S.N.	Districts	S.N.		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
FMR Code				A.2.5	B.30.8.1				B.30.8.2			B.30.8.3	
20	Deoria	20	Deoria	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
21	Etah	21	Etah	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
22	Etawah	22	Etawah	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
23	Faizabad	23	Faizabad	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
24	Farukkhabad	24	Farrukhabad	260000	1	180000	60000	240000	3	1	312756	1	32000
25	Fatehpur	25	Fatehpur	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
26	Firozabad	26	Ferozabad	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
27	Gautambuddha Nagar	27	G.B. Nagar	260000	1	180000	60000	240000	2	2	305304	1	32000
28	Ghaziabad	28	Ghaziabad	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
29	Ghazipur	29	Ghazipur	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
30	Gonda	30	Gonda	260000	1	180000	60000	240000	3	1	312756	1	32000
31	Gorakhpur	31	Medical College Gorakhpur	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
32	Hamirpur	32	Hamirpur	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
33	Hardoi	33	Hardoi	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
34	Hathras	34	Hathras	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
35	Jalaun	35	Jalaun	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
36	Jaunpur	36	Jaunpur	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
37	Jhansi	37	Medical College Jhansi	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
38	Kannauj	38	Kannauj	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18									
				Operational cost	Medical officer				Staff Nurse			Cook	
					No.	Medical Officer @45000/month for 4 months	Performance Based Incentive upto @ Rs. 15000/month for 4 months	Total Honorarium of Medical officer	Old, SNs @20013/Month for 4 months	New, SNs @18150/Month for 4 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Old Cook @8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cook
S.N.	Districts	S.N.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FMR Code				A.2.5	B.30.8.1				B.30.8.2			B.30.8.3	
39	Kanpur Dehat	39	Kanpur Dehat	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
40	**Kanpur Nagar**	40	**Medical College Kanpur**	260000	1	180000	60000	240000	3	1	312756	1	32000
41	Kasganj	41	Kasganj	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
42	Kaushambi	42	Kaushambi	260000	1	180000	60000	240000	3	1	312756	1	32000
43	Kushi Nagar	43	Kushinagar	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
44	Lakhimpur Kheri	44	Lakhimpur Kheri	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
45	**Lalitpur**	45	**Lalitpur DH**	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
		46	**Baar CHC**	260000	1	180000	60000	240000	3	0	240156	1	32000
		47	**Birdha CHC**	260000	1	180000	60000	240000	3	0	240156	1	32000
		48	**Mehrauni CHC**	260000	1	180000	60000	240000	3	0	240156	1	32000
		49	**Madawara CHC**	260000	1	180000	60000	240000	3	0	240156	1	32000
		50	**Jakhora CHC**	260000	1	180000	60000	240000	3	0	240156	1	32000
		51	**Talbhet CHC**	260000	1	180000	60000	240000	3	0	240156	1	32000
46	Lucknow	52	Lucknow	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
47	Maharajganj	53	Maharajganj	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
48	Mahoba	54	Mohaba	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
49	Mainpuri	55	Mainpuri	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
50	Mathura	56	Mathura	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
51	Mau	57	Mau	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
52	Meerut	58	Meerut	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18										
				Operational cost	Medical officer				Staff Nurse				Cook	
					No.	Medical Officer @45000/month for 4 months	Performance Based Incentive upto @ Rs. 15000/month for 4 months	Total Honorarium of Medical officer	Old, SNs @20013/Month for 4 months	New, SNs @18150/Month for 4 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Old Cook @8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cook
S.N.	Districts	S.N.		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
FMR Code				A.2.5	B.30.8.1				B.30.8.2			B.30.8.3		
53	Mirzapur	59	Mirzapur	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
54	Moradabad	60	Moradabad	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
55	Muzaffar Nagar	61	Muzaffar Nagar	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
56	Pilibhit	62	Pilibhit	260000	1	180000	60000	240000	3	1	312756	1	32000
57	Pratapgarh	63	Pratapgarh	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
58	Raebareli	64	Raebareli	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
59	Rampur	65	Rampur	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
60	Saharanpur	66	Saharanpur	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
61	Sant Kabir Nagar	67	Sant Kabir Nagar	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
62	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	68	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
63	Shahjahanpur	69	Shahjahanpur	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
64	Shravasti	70	Shrawasti	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
65	Siddharth Nagar	71	Sidharth Nagar	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
66	Sitapur	72	Sitapur	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
67	Sonbhadra	73	Sonbhadra	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
68	Sultanpur	74	Sultanpur	260000	1	180000	60000	240000	0	4	290400	1	32000
69	Unnao	75	Unnnao	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
70	Varanasi	76	Varanasi	260000	1	180000	60000	240000	4	0	320208	1	32000
Total Amount				19760000	76	13680000	4560000	18240000	214	84	23229528	76	2432000
Total Funds Proposed/Released to DHS				197.60	76	136.80	45.60	182.40	298		232.30	76	24.32

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18								
				Caretaker		Nutitionist/ FD			Cleaner		ASHA Incentive for referral/ followup NRC	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
				Caretaker @ 8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Caretaker	Old, Nutrist. @18191 per Month for 4 months	New, Nutrist. @16500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Nutitionist/ FD	Cleaner @7500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cleaner		
S.N.	Districts	S.N.		11	12	13	14	16	17	18	19	
FMR Code				B.30.8.3		B.30.8.5			B.30.8.5		B.1.1.3.2.5	
1	Agra	1	Agra	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
2	Aligarh	2	Medical College Aligarh	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
3	Allahabad	3	Medical College Allahabad	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
4	Ambedkar Nagar	4	Ambedkar Nagar	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
5	Amroha (JP Nagar)	5	Amroha (JP Nagar)	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
6	Azamgarh	6	Azamgarh	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
7	Baghpat	7	Bagpat	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
8	Bahraich	8	Bahraich	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
9	Ballia	9	Ballia	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
10	Balrampur	10	Balrampur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
11	Banda	11	Banda	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
12	Barabanki	12	Barabanki	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
13	Bareilly	13	Bareilly	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
14	Basti	14	Basti	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
15	Bijnor	15	Bijnor	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
16	Budaun	16	Badaun	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	1016208
17	Bulandshahar	17	Bulandshahar	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
18	Chandauli	18	Chandauli	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
19	Chitrakoot	19	Chitrakoot	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1015520

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18								
				Caretaker		Nutitionist/ FD			Cleaner		ASHA Incentive for referral/ followup NRC	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
				Caretaker @ 8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Caretaker	Old, Nutrist. @18191 per Month for 4 months	New, Nutrist. @16500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Nutitionist/ FD	Cleaner @7500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cleaner		
S.N.	Districts	S.N.		11	12	13	14	16	17	18	19	
FMR Code				B.30.8.3		B.30.8.5			B.30.8.5		B.1.1.3.2.5	
20	Deoria	20	Deoria	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
21	Etah	21	Etah	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
22	Etawah	22	Etawah	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
23	Faizabad	23	Faizabad	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
24	Farukkhabad	24	Farrukhabad	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1015520
25	Fatehpur	25	Fatehpur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
26	Firozabad	26	Ferozabad	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
27	Gautambuddha Nagar	27	G.B. Nagar	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1008068
28	Ghaziabad	28	Ghaziabad	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
29	Ghazipur	29	Ghazipur	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
30	Gonda	30	Gonda	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1015520
31	Gorakhpur	31	Medical College Gorakhpur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
32	Hamirpur	32	Hamirpur	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
33	Hardoi	33	Hardoi	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
34	Hathras	34	Hathras	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
35	Jalaun	35	Jalaun	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
36	Jaunpur	36	Jaunpur	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
37	Jhansi	37	Medical College Jhansi	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
38	Kannauj	38	Kannauj	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18								
				Caretaker		Nutitionist/ FD			Cleaner		ASHA Incentive for referral/ followup NRC	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
				Caretaker @ 8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Caretaker	Old, Nutrist. @18191 per Month for 4 months	New, Nutrist. @16500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Nutitionist/ FD	Cleaner @7500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cleaner		
S.N.	Districts	S.N.		11	12	13	14	16	17	18	19	
FMR Code				B.30.8.3		B.30.8.5			B.30.8.5		B.1.1.3.2.5	
39	Kanpur Dehat	39	Kanpur Dehat	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
40	**Kanpur Nagar**	40	**Medical College Kanpur**	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1015520
41	Kasganj	41	Kasganj	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
42	Kaushambi	42	Kaushambi	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1015520
43	Kushi Nagar	43	Kushinagar	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
44	Lakhimpur Kheri	44	Lakhimpur Kheri	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
45	**Lalitpur**	45	**Lalitpur DH**	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
		46	**Baar CHC**	1	32000	1	0	72764	1	30000	21600	928520
		47	**Birdha CHC**	1	32000	1	0	72764	1	30000	21600	928520
		48	**Mehrauni CHC**	1	32000	1	0	72764	1	30000	21600	928520
		49	**Madawara CHC**	1	32000	1	0	72764	1	30000	21600	928520
		50	**Jakhora CHC**	1	32000	1	0	72764	1	30000	21600	928520
		51	**Talbhet CHC**	1	32000	1	0	72764	1	30000	21600	928520
46	Lucknow	52	Lucknow	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
47	Maharajganj	53	Maharajganj	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
48	Mahoba	54	Mohaba	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
49	Mainpuri	55	Mainpuri	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
50	Mathura	56	Mathura	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
51	Mau	57	Mau	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
52	Meerut	58	Meerut	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972

Name of Districts		Name of Unit		District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2017-18								
				Caretaker		Nutitionist/ FD			Cleaner		ASHA Incentive for referral/ followup NRC	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
				Caretaker @ 8000 per Month for 4 months	Total Honorarium of Caretaker	Old, Nutrist. @18191 per Month for 4 months	New, Nutrist. @16500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Nutitionist/ FD	Cleaner @7500 per Month for 4 months	Total Honorarium of Cleaner		
S.N.	Districts		S.N.	11	12	13	14	16	17	18	19	
FMR Code				B.30.8.3		B.30.8.5			B.30.8.5		B.1.1.3.2.5	
53	Mirzapur	59	Mirzapur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	993164
54	Moradabad	60	Moradabad	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
55	Muzaffar Nagar	61	Muzaffar Nagar	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	1016208
56	Pilibhit	62	Pilibhit	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1015520
57	Pratapgarh	63	Pratapgarh	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
58	Raebareli	64	Raebareli	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
59	Rampur	65	Rampur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
60	Saharanpur	66	Saharanpur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
61	Sant Kabir Nagar	67	Sant Kabir Nagar	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
62	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	68	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	1016208
63	Shahjahanpur	69	Shahjahanpur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
64	Shravasti	70	Shrawasti	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
65	Siddharth Nagar	71	Sidharth Nagar	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
66	Sitapur	72	Sitapur	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
67	Sonbhadra	73	Sonbhadra	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
68	Sultanpur	74	Sultanpur	1	32000	0	1	66000	1	30000	36000	986400
69	Unnao	75	Unnnao	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
70	Varanasi	76	Varanasi	1	32000	1	0	72764	1	30000	36000	1022972
Total Amount				76	2432000	55	21	5388020	76	2280000	2649600	76411148
Total Funds Proposed/Released to DHS				76	24.32	76		53.88	76	22.80	26.50	764.11

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानुपर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रवस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2017–18/ **दिनांक 21/08/2017**

विषय–जनपद/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, स्तर पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि एन0एफ0एच0एस0–IV (वर्ष 2016) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 15 लाख बच्चे Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित हैं अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। Severe Acute Malnutrition (SAM) एक गंभीर समस्या है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 09 गुना अधिक होती है। मुख्य रुप से 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तथा Severe Acute Malnutrition (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जाती है:

- 01–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम।
- 02–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम।
- 03–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

गंम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के लिये जनपदों में क्रियाशील **पोषण पुनर्वास केन्द्रों** (NRCs) के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/मेडिकल कालेजों में क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है

इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2016–17/5893–70, दिनांक 29.09.2016 के माध्यम से पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग एवं पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं–

01– उद्देश्य–

- 05 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

02– पोषण पुनर्वास केद्रों में भर्ती एवं उपचार के लिए निम्नलिखित जटिलताओं से ग्रस्त SAM बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- हाइपोग्लाइसीमिया।
- दस्त से ग्रसित बच्चे में तीव्र पानी की कमी के लक्षण।
- बच्चा दिखने में बहुत कमजोर हो।
- पीटिंग एडीमा– दोनो पैरो का।
- उदासीनता या बेहोशी या उनींदापन।
- चिड़चिड़ापन या बेचैनी।
- सांस लेने में किसी तरह की परेशानी।
- हथेलियों का पीलापन (एनिमीया)।
- भूख न लगना।
- बुखार या ठण्डा बुखार।
- तीव्र निमोनिया।
- अन्य किसी जटिलता के लक्षण जो चिकित्सक के अनुसार भर्ती योग्य हो।

03–पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–

1. संदर्भित किये गए बच्चों की पुनः जॉच कर SAM की पहचान ।
2. SAM बच्चों को भर्ती कर जटिलताओं (हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डीहाइड्रेशन) का प्रोटोकाल के अनुरूप प्रबंधन।
3. भर्ती मानक के अनुसार वार्ड में भर्ती बच्चों को एण्टीबायोटिक्स–(आइ0वी0 व ओरल) से इलाज।
4. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
5. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों में सुधार हेतु पूरक खुराक देना।
6. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
7. माँ एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
8. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
9. पोषण पुनर्वास केन्द्र में डिस्चार्ज के बाद हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।
10. माँ को निःशुल्क आहार दिया जाता है।

04– वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि को निम्ननुसार व्यय किया जाय।

A– ऑपरेशनल कास्ट–

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये आर0ओ0पी0 के **FMR Code-A.2.5** पर ऑपरेशनल कास्ट मद में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु औषधियों **(चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगीं तथा एन0आर0सी0 प्रोटोकाल के अनुसार यदि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये)**
- मेडिकल कालेज के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि EDL में उपलब्ध एन0आर0सी हेतु आवश्यक दवाओं की लिस्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समय से उपलब्ध करायें। **मेडिकल कॉलेजों को EDL के अन्तर्गत उपलब्ध दवाईयां एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेडिकल कालेजों में संचालित इकाइयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0)/नोडल अधिकारी की होगी।**
- कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, मॉ के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फॉलोअप आदि का वहन तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। ऑपरेशनल कास्ट मद हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Budget for NRCs (2017-18)	तालिका–1
S. N.	Item
A	**Operational Cost *(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Food for children @ Rs. 75 per child/day
2	Daily wage compensation Rs. 50 per day and Rs. 50 for mother's food per mother/day
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)
5	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be Localy purchased.
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

B- मानव संसाधन–

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **FMR Code-B.30.8.1 पर संविदा चिकित्सा अधिकारी**– जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 चिकित्सा अधिकारी के अनुसार 76 इकाईयों के 76 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी को रू0 45,000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय तथा 76 इकाईयों के 76 चिकित्सा अधिकारी राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0) प्रदान किये जाने हेतु प्रति चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रू0 15,000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह हेतु **परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0) प्रदान किये जाने हेतु पृथक से राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेगें संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **FMR Code-B.30.8.2 पर संविदा स्टाफ नर्स**– जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में पूर्व से कार्यरत 214 संविदा स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु प्रति स्टाफ नर्स को रू0 20013/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय तथा शेष 84 स्टाफ नर्स को, प्रति स्टाफ नर्स को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **FMR Code-B.30.8.3 पर संविदा कुक (रसोईया) (नवीन तैनाती/भर्ती आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचाालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 कुक (रसोईया) के अनुसार 76 इकाईयों के 76 कुक (रसोईया) के मानदेय हेतु प्रति कुक (रसोईया) को रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **FMR Code-B.30.8.3 पर संविदा केयर टेकर (नवीन तैनाती/भर्ती आउट सोर्सिगं के माध्यम से)**– जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 केयर टेकर के अनुसार 76 इकाईयों के 76 केयर टेकर के मानदेय हेतु, प्रति केयर टेकर को रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।** मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **FMR Code-B.30.8.5 पर संविदा न्यूट्रिशनिस्ट**– जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत प्रति इकाई 01 न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार 76 इकाईयों के 76 न्यूट्रीशनिस्ट, पूर्व से कार्यरत **55 न्यूट्रीशनिस्ट** के मानदेय हेतु प्रति न्यूट्रीशनिस्ट को रू0 18191/– प्रतिमाह की दर से 04 माह हेतु तथा **19 न्यूट्रीशनिस्ट** का मानदेय, प्रति न्यूट्रीशनिस्ट को रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय तथा शेष **02 न्यूट्रीशनिस्ट** का मानदेय प्रति न्यूट्रीशनिस्ट को रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह का मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।** मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

- **FMR Code-B.30.8.5 पर सफाई कर्मियों (आउटसोर्सिंग के माध्यम से)**– जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 में कार्यरत की 01 प्रति इकाई सफाई कर्मी के अनुसार 76 इकाईयों के 76 सफाई कर्मियों के मानदेय हेतु प्रति सफाई कर्मियों को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 04 माह के मानदेय हेतु **संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**

C- गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप हेतु लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है।

- **आशा एवं आगनवाड़ी (सन्दर्भन–प्रतिपूर्ति राशि)**– भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-B1.1.3.2.5 पर पोषण पुर्नवास केन्द्रों में Severe Acute Malnutrition-SAM बच्चों को संदर्भन प्रतिपूर्ति रू0 50/– प्रति बच्चे तथा 4 फॉलोअप कराने हेतु रू0 100/– इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रू0 150/– की धनराशि आशा एवं आंगनवाड़ी को फालोअप/सन्दर्भन–प्रतिपूर्ति राशि हेतु धनराशि का स्वीकृत की गयी है। **स्वीकृत की गयी धनराशि संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।**
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (RBSK) ब्लाक पर 4Ds (दोष, रोग, विकास में विलंब, स्वास्थ्य संबंधी कमियों) की पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप करना आर0बी0एस0के0 का दायित्व है, अतः आर0बी0 एस0के0 टीम के लिए Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्रों में सन्दर्भन एवं भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहन राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद/मेडिकल कॉलेज/सी0एचसी0 को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि रिवैलिडेट/कमिटेड की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेख्या प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
9. इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

05– पोषण पुनर्वास केन्द्र के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश–

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0आर0सी0 में चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु मानव संसाधन अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी** दिशा निर्देशानुसार नियुक्ति की जायेगी।
- **वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कुक (रसोईया), केयर टेकर एवं सफाई कर्मी के पद यदि रिक्त हैं या नवीन पद हैं तो इन कर्मियों को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा।**
- **कुक (रसोईया), केयर टेकर, (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)–** पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) पर कुक (रसोईया) एवं केयर टेकर को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **01 कुक (रसोईया)**, एवं 01 केयर टेकर की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति **कुक (रसोईया)/केयर टेकर** रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- **सफाई कर्मी (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)–** पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) पर सफाई कर्मी को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई **01** सफाई कर्मी की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय **प्रति सफाई कर्मी को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से देय होगा।**

06– मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दायित्व–

- **संचालन से सम्बन्धित**

- एन0आर0सी0 के क्रियान्वयन में समस्याओं की पहचान करने हेतु एन0आर0सी0 का प्रत्येक माह में कम से कम एक बार भ्रमण करें और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ मिलकर उन समस्याओं के निर्वाहन हेतु कार्य करें।
- जिला पोषण समिति की बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सामने लाने और उनके समाधान हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- **जिला स्तरीय टीम द्वारा प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर संयुक्त रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं कार्यरत मानव संसाधन के कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा एवं टीम द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया जायेगा जिला स्तरीय टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक शामिल होंगें।**

- **सन्दर्भन से सम्बन्धित–**

- आशा द्वारा सन्दर्भन करने हेतु Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes के इस्तेमाल में उनका प्रशिक्षण आयोजित करवाना सुनिश्चित करें।
- यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वी0एच0एन0डी0 के दौरान आंगनवाडी द्वारा चिहिंत लाल श्रेणी के बच्चों की आवश्यक रुप से Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes द्वारा ही जॉच की जाए।
- ब्लाक सन्दर्भन सुनिश्चित करने हेतु मासिक आधार पर निरीक्षण कर ऐसे ब्लाक की पहचान करना जहां से सन्दर्भन नहीं हो रहा है और इस विषय में उपयुक्त कार्यवाही करें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थित चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर स्थित आशाओं को जिला चिकित्सालय में स्थित एन0आर0सी0 में उपलब्ध सेवाओं, के बारे में जानकारी दी जाये और इसके लिये माह में एक दिन **(जनपद द्वारा सुनिश्चित कर)** ब्लाक स्वास्थ्य टीम के भ्रमण एवं सेंसटाईजेशन हेतु निश्चित किया जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगले तीन माह के भीतर सभी ब्लाक टीमों का एक सेंसटाईजेशन हेतु भ्रमण करवाना अनिवार्य होगा।

07– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के दायित्व –

- **संचालन से सम्बन्धित –**

- **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल में स्थित पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)** का प्रतिदिन भ्रमण कर उसका उत्तम संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही पोषण पुनर्वास केन्द्र की संचालन सम्बन्धी समस्याओं (यदि कोई पायी जाती है तो) की पहचान कर उसके समाधान हेतु एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही करें।
- **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुनिश्चित करें कि पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)** में नियुक्ति संविदा कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नियम एवं समय अनुसार करें। जिसके लिए जरुरी होगा कि एन0आर0सी स्टाफ हेतु

अटेंडेंस रजिस्टर अनुरक्षित रखा जाए। यदि ऐसा पाया जाता है कि कार्यरत स्टाफ अपना कार्य समय एवं अनुशासन से नहीं कर रहे हैं उस स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अनुशासत्मक कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

- **इस बात का ध्यान रखें कि एन0आर0सी0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय। पर्यवेक्षण/फीडबैक में यदि इसकी पुनरावृत्ति पायी जाती है तो इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में संविदा पर कार्यरत स्टाफों को समय एवं अनुशासन से कार्य न करने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुशासत्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत संविदा मानव संसाधन का मासिक मानदेय सामान्य स्थिति में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से आगामी माह की 10 तारीख तक आहरित किया जाना अनिवार्य होगा।
- एन0आर0सी0 से छुट्टी किये गये बच्चे की माताओं/संरक्षक को प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान बच्चे की छुट्टी के दो माह के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की होगी।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से यह भी अपेक्षित है कि वे प्रति माह वित्त पोषण के अंतर्गत समाहित ऑपरेशनल कास्ट तथा मानव संसाधन पर बिन्दुवार खर्च एवं भुगतान की समीक्षा करें एवं किए गए खर्च को मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में एस0ओ0ई में बुक करवायें।
- सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदा कर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
- सुनिश्चित करें की यदि कोई बच्चा एन0आर0सी0 में संदर्भित किया गया है और वह अति जटिल अवस्था में पाया जाता तो कार्यवाही करें।
- यदि बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सालय में उपलब्ध हैं तो बच्चे की जांच व प्रारंभिक उपचार उनकी देखरेख में किया जांए अथवा यदि आवश्यक हो तो बच्चे को प्रारंभिक उपचार हेतु बाल रोग विभाग में स्थानान्तरित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायें।
- यदि चिकित्सालय में बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं तो चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा आवश्यक परीक्षण करवा कर और उनकी सलाह के अनुसार ही बच्चे को उचित उपचार हेतु एन0आर0सी0 में भर्ती किया जाये।
- एन0आर0सी0 तथा डायरिया इनडोर/ओ0पी0डी0 में लिंक स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि डायरिया से ग्रसित सभी बच्चों को SAM स्क्रीनिंग हेतु एन0आर0सी0 में संदर्भित किया जाए।
- एन0आर0सी0 में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में बालरोग विभाग के किसी चिकित्सक को नोडल अधिकारी नामित कर इकाई के भर्ती बच्चों की देख रेख सुनिश्चित करें।
- एन0आर0सी0 में भर्ती बच्चों का उपचार व प्रबंधन मार्गदर्शिका में दिए 10 चरणों के अनुसार हो रहा हो।
- सफाई कर्मी का पद भी रिक्त है तो चिकित्सालय में तैनात सफाई कर्मी द्वारा एन0आर0सी0 वार्ड, रसोई एवं प्ले ऐरिया की सफाई उपयुक्त आदेश देकर सुनिश्चित कराये।

- **<u>सन्दर्भन से सम्बन्धित –</u>**

- प्रत्येक माह एन0आर0सी0 स्टाफ (चिकित्साधिकारी एवं न्यूट्रीशनिस्ट) को कम से कम दो ब्लाक पर भेज कर वहॉ स्थित स्वास्थ्य कर्मियों की एन0आर0सी0 की सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाये।
- एन0आर0सी0 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थित चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर स्थित आशाओं के भ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराना और उनका एन0आर0सी0 में दी जाने वाली सेवाओं, Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes के इस्तेमाल जैसे विषयों में उन्मुखीकरण सुनिश्चित करवाएं।

<u>08– मानव संसाधन–</u>

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर निम्न मानव संसाधन की तैनाती–

▪ चिकित्सा अधिकारी	–01	(संविदा पर)
▪ न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर	–01	(संविदा पर)
▪ स्टाफ नर्स	–04	(संविदा पर)
▪ कुक (रसोईया)	–01	(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)
▪ केयर टेकर	–01	(आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

- सफाई कर्मी –01 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

8.1–चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व –

- **वार्ड से सम्बन्धितः–**

- एन0आर0सी0 में भर्ती गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना चिकित्सा अधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा।
- सुनिश्चित करें कि भर्ती किये गये बच्चो का उपचार मार्ग दर्शिका में दिये गये गंभीर रूप से कुपोषित बच्चो के प्रबन्धन हेतु मानकीकृत प्रोटोकाल के अनुसार हो। इसके लिए जरूरी होगा कि भर्ती करने के समय बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डीहाइड्रेशन एवं किसी अन्य संक्रमण के लक्षणों की जॉच की जाये।
- चिकित्सा अधिकारी को प्रातः 9:00 बजे से 4:00 बजे तक एन0आर0सी0 में अनिवार्यतः उपस्थित रहकर बच्चों की देखभाल करनी होगी।
- इसके अलावा सायं 4:00 बजे के बाद यदि कोई अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके प्रबन्धन की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी की होगी।
- भर्ती बच्चों को जो दवाईयां एवं सुक्ष्म पोषक तत्व दिये जाने हैं उस पर स्टॉफनर्स को आवश्यक निर्देश देना सुनिश्चित करें।
- यह सुनिश्चित करें कि वार्ड राउण्ड के दौरान सभी बच्चों के वाईटल स्टैटस–प्लस, रेसपीरेटरी रेट, तापमान आदि नापे जाये। चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्टाफनर्स को ऐसे गम्भीर बच्चों की सूची दिया जाना अनिवार्य होगा जिनके वाईटल स्टैटस प्रत्येक 2–3 घण्टे में नापे जाने की आवश्यकता है।
- वार्ड राउण्ड के दौरान व्यक्तिगत तौर पर भर्ती बच्चों के परिवार से यह पुछकर सुनिश्चित करें कि रात में फीड समय अनुसार दी जा रही है।

- **रसोई/आहार से सम्बन्धितः–**

- जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को फीड का प्रकार (F75 or F100) एवं उसकी मात्रा तय करने में सहयोग देना।
- चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें की सभी बच्चों (सिवाय ऐसे बच्चे जो दस्त से ग्रसित हैं या जिनकी आयु छः माह से कम है) को भर्ती करने के तुरन्त बाद उनका एपेटाइट टेस्ट न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा किया जाए। यदि न्यूट्रीशनिस्ट उपलब्ध न हो तो एपेटाइट टेस्ट स्टॉफ नर्स द्वारा चिकित्सा अधिकारी के सामने किया जाएगा।

- **आपूति से सम्बन्धितः–**

- औषधियों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता चिकित्सालय से सुनिश्चित करवाना। यदि कोई औषधियों एवं सूक्ष्म पोषक तत्व चिकित्सालय के दवा खाने में उपलब्ध न हो तो समय रहते उसकी खरीद सुनिश्चित करें।
- एन0आर0सी0 में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण (ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, वजन की मशीन, लम्बाई व उचाई नापने की मशीन आदि) उपलब्ध हो तथा सुचारू रूप से काम कर रहे हो, यह सुनिश्चित करना चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य होगा।

- **सन्दर्भन से सम्बन्धित –**

- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना एवं एन0आर0सी0 के चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली पोषण मिशन की बैठक में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।
- माह में दो बार ब्लाक स्तरीय भ्रमण कर आशा/आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ बैठक कर उन्हें SAM बच्चों की पहचान करने के मापदण्ड, SAM बच्चों के सन्दर्भन एवं उन्हें भर्ती कराने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी देना एवं SAM बच्चों का सन्दर्भन बढाने हेतु प्रेरित करना। भ्रमण के लिये वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय स्थापित कर की जा सकती है। इस कार्य हेतु ऐसे ब्लाक को प्राथमिकता दी जाएगी जहां से संदर्भन कम है।

- **निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग से सम्बन्धितः–**

- यह सुनिश्चित कर लें कि एन0आर0सी0 का कार्य उचित तरीके से हो रहा है चिकित्सा अधिकारी को सप्ताह में 1 बार स्पाट चेक कर निम्न जाँच करे।
  - ✓ बच्चों का वजन प्रति दिन किया जा रहा हो।
  - ✓ उन्हें समय अनुसार सही मात्रा में निर्धारित की गई फीड दी जा रही हो।
  - ✓ सैम चार्ट सही तरीके से भरा गया हो।
  - ✓ रात की फीड समय के अनुसार एवं सही मात्रा में दी जा रही हो।
  - ✓ फॉलोअप के लिए कितने बच्चे आए।

यदि स्पाट चेक के दौरान कोई समस्या पायी जाती है तो उसके निवारण हेतु सम्बन्धित कर्मियों का प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- सैम चार्ट में भाग–6 और 8 को नियमित रूप से भरना एवं सैम चार्ट और एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन कर माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी/ महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना।
- सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना।

नोट – चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाहन स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट और नोडल अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा।
स्टाफ नर्स – चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व में क्रम संख्या 6, 10, 11, 15 (नोडल अधिकारी के साथ परामर्श कर के)
न्यूट्रीशनिस्ट– चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व क्रम संख्या 8, 9, 12, 13, 15 (मासिक रिपोर्ट के सन्दर्भ में स्टाफ नर्स के साथ समन्वय)
नोडल अधिकारी (प्रभारी चिकित्साधिकारी)–चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व क्रम संख्या 1, 4, 5, 7, 14

8.2–न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व –

- **वार्ड से सम्बन्धितः–**

- न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक एन0आर0सी0 में कार्य करेगी।
- प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय कर थेराप्यूटिक फीड तय करेंगी।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बताएगी एवं सैम चार्ट में अंकित करेगी।
- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, छुट्टी के पश्चात आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चे के वज़न की जॉच, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर परामर्श पुस्तिका की सहायता से प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- इसके अतिरिक्त न्यूट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वज़न में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, औषधियाँ एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।

- **रसोई/आहार से सम्बन्धितः–**

- रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में रसोइये को निर्देशित करना होगा।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उसका ब्यौरा आपूर्ति रजिस्टर में अंकित करना।

- **सन्दर्भन एवं फालोअप से सम्बन्धितः–**

- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार–प्रसार करना आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid

Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

- न्यूट्रीशनिस्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चो की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार/आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो–अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।

- **निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग से सम्बन्धितः–**

- न्यूट्रीशनिस्ट को समय–समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि रसोईयां, सफाई कर्मी एव केयर टेकर अपना काम सही ढंग से करे और एन0आर0सी0 वार्ड और रसोई की साफ सफाई व स्वच्छता बनी रहे।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चो के सैम चार्ट व एन0आर0सी0 रजिस्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट की होगी।
- न्यूट्रीशनिस्ट को चिकित्सा अधिकारी के न होने की स्थिति में स्टाफ नर्स के साथ मिलकर भौतिक रिपोर्ट तैयार करवानी होगी जिसे आगामी माह की 05 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी/ महानिदेशक परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एचएम0 उ0प्र0 को प्रेषित करना।
- सैम चार्ट में` भाग 5, 7, 10, 11, 13 एवं 12 का डाईट और फीडिंग प्लान वाले हिस्से को नियमित रूप से भरने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट की होगी।
- वेब–बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिंग का कार्य भी न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा किया जायेगा। **(राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर)**
- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें।

8.3–स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :–

- **वार्ड से सम्बन्धितः–**

- स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8–8 घंटे की होगी।
- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना और सुनिश्चित करना की भर्ती किये गये बच्चों के वाइटल स्टैटस की जॉच कम से कम दो बार की जाये।
- चिकित्सक के अनुसार हर बच्चे को औषधि देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार औषधियों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार औषधियों देने के पश्चात उसे सैम चार्ट में अंकित करना।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ–सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वज़न लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर औषधि देना आदि, डिस्चार्ज संबंधी सूचना के रखरखाव, चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की अनुपस्थिति में बच्चों का नियमित रूप से वजन लेना और उसे सैम चार्ट में अंकित करना।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संन्तुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देना।

- **रसोई/आहार से सम्बन्धितः–**

- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार दिया जायेगा।
- रात में बच्चे की फीड इकाई में कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा दी जायेगी तथा ग्रहण की गई मात्रा सैम चार्ट में अंकित की जायेगी।

- यदि अवकाश के दिन किसी भी समय स्टॉफ नर्स को यह लगता है कि बच्चे के निर्धारित डाईट से बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है या बच्चा उसे नहीं ले पा रहा है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की फीड में बदलाव न्यूट्रीशनिस्ट/चिकित्सक के साथ परामर्श करके ही किया जाएगा।

- **आपूर्ति से सम्बन्धितः–**

- पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना एवं उसे समय रहते इनडेन्ट करवाए।
- यह सुनिश्चित करें कि पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध समस्त उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों। यदि कोई उपकरण क्रियाशील नहीं है तो इसकी सूचना चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को देकर उसकी मरम्मत शीघ्र अतिशीघ्र करवाए।

- **रिकार्ड रखने व रिपोर्टिगं से सम्बन्धितः–**

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध समस्त उपकरणो, बच्चो के डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम के रख–रखाव की जिम्मेदारी स्टाफ नर्स की होगी।
- न्यूट्रीशनिस्ट व चिकित्सा अधिकारी के न होने की स्थिति में स्टाफ नर्स को मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करनी होगी एवं समय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महानिदेशक परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एचएम0 उ0प्र0 को प्रेषित करना।
- सैम चार्ट में भाग–1, 2, 3, 4, 9 और 12 (डाईट और फीडिंग प्लान वाले हिस्से के अतिरिक्त) को नियमित रूप से भरने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्टाफ नर्स की होगी।
- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- इकाई में आने वाली आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

8.4–रसोईया के कार्य एवं दायित्व –

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनो को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- समय समय पर वार्ड की निगरानी कर, खासतौर पर माताओं के भोजन ग्रहण करने के समय यह सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चे को निर्धारित फीड के अतिरिक्त कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुटटी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोईया अपनी डूयूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में डूयूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।
- रसोईया एवं केयर टेकर को आपस में सामंजस्य स्थापित कर माँ एवं परिजन के आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करवानी होगी।
- सभी माताओ को अपने द्वारा इस्तेमाल किये गये बर्तनों को स्वयं धोने के लिये प्रोत्साहित करना।

8.5– केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व –

- केयर टेकर को वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई प्रतिदिन सुनिश्चित करनी होगी।
- यह सुनिश्चित करना की बच्चो के बिस्तर के चादर बदली जाये और उसे नियमित रूप से लाण्डरी के लिये भेजा जाये।
- प्रत्येक बच्चे, उसके माता–पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ–सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।

- रसोईये की अनुपस्थित में न्यूट्रीशनिस्ट की निगरानी में भर्ती बच्चो की फीड तैयार करना।
- समय समय पर वार्ड की निगरानी कर, खासतौर पर माताओं के भोजन ग्रहण करने के समय यह सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चे को निर्धारित फीड के अतिरिक्त कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- प्रत्येक बच्चे का मनो–सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।
- इन्डेन्ट की गयी सामग्री की प्रतिपूर्ति चिकित्सालय के स्टोर एवं डिस्पेंसरी से सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित आहार खिलाएं।

फीड बनाने का दायित्व रसोइया एवं केयर टेकर के मध्य बांटा जाएगा। उन्हें 15–15 दिन की शिफ्ट डयूटी कर सुबह एवं रात में एन0आर0सी का काम संभालना होगा।

सुबह की डयूटी का समय : 9:30 से 17:30
रात की डयूटी का समय : 20:00 से 8:00

8.6–सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :–

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेगें। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारें में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

09– गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)–

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम
	2–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम
	3–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।
6 माह से कम उम्र के बच्चों	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये) 2–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा। 3–देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलताये हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

एन0आर0सी0 में भर्ती एवं उपचार के लिए जटिलताओं से ग्रस्त गंभीर कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि कोई बच्चा केवल सैम के मानक के अनुसार गम्भीर रूप से कुपोषित घोषित किया जाता है तो उसे उपचार हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों में एन0आर0सी0 में भर्ती किया जायेगा।

1. यदि एन0आर0सी0 में भर्ती हेतु बेड खाली हो।
2. यदि घर में बच्चे की सम्पूर्ण देखभाल करना सम्भव नहीं हो।
3. यदि माँ/देख भालकर्ता बच्चे के साथ एन0आर0सी0 में उसके ठीक होने तक रूकने के लिये तैयार हो।

नोटः–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय। जो बच्चे दो सप्ताह के उपरान्त भी केंद्र मे भर्ती रहेंगे उनको यथावत धनराशी देय होगी।
2. आंगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका "मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स' (MUAC) 11.5 से. मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।

3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0/आशा/ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले MUAC tapes 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

10– बच्चों के छुट्टी के मानकः–

- वज़न में 15 प्रतिशत की वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना।
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

11– कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।
- किसी भी फॉलोअप के दौरान अगर बच्चे का weight-for-height/length **SD score**-1SD अथवा **MUAC** Tapes 12.5 cm या उससे अधिक हो तो बच्चे को आगामी फॉलोअप विजिट से छूट दी जा सकती है।
- सप्ताह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जाये तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी जाय।

12– रिपोर्ट का प्रेषण –

पोषण पुनर्वास केन्द्रों की मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति एवं फालोअप के प्रेषण हेतु **प्रारूप संलग्न** किया जा रहा है साथ ही इन प्रारूपों के उपयोग हेतु एक मार्ग दर्शिका भी संलग्न की जा रही है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 05 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजी जाये। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाये। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

13– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (**प्रोटो टाइप संलग्न**) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3 फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जाये अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी/आशाओं को बताया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उ0प्र0 एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2017–18/5442-70-17 दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि–**निम्नलिखित को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **सम्बन्धित मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. **महानिदेशक,** राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **महानिदेशक, चिकित्सा** शिक्षा, जवाहर भवन लखनऊ।
7. **निदेशक,** आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
9. **सम्बन्धित जिलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
11. **कुलपति,** अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़।**
12. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद**/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर**/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी।**
13. **विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग,** कोऑर्डिनेटर, एन0आर0सी0 जे0एन0 मेडीकल कॉलेज **अलीगढ,** एम0 एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद,** जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर,** बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर,** आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झाँसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
14. **सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,** जिला पुरूष चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
15. **प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक**, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
16. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
17. **न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट**, यूनिसेफ, बी–3/258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

क्र0सं0	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाये।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चे की माँ/परिजन को निशुल्क आहार उपलब्ध कराया जाता है।
4	102 एम्बुलेंस से केन्द्र में बच्चों को लाने और छोड़ने की सुविधा निशुल्क दी जाती है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क है।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की मॉ को रू0 50 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	आशा/ऑगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा / ऑगनवाड़ी को रू0 50 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। आशा/ऑगनवाड़ी द्वारा डिस्चार्ज के पश्चात बच्चे के 4 फॉलोअप कराने पर अतिरिक्त रू0 100/– प्रति बच्चा दिया जायेगा।
6	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फॉलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 4 बार दिखाना चाहिये।
7	बच्चे को फॉलोअप के लिये लाने पर मॉ को एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 एवं प्रति बच्चे को खाने के लिए अतिरिक्त रू0 40/– प्रति बच्चे दिया जायेगा।
8	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
9	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

<u>नोट</u>– ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व पारदर्शिता के लिये 2 फीट चौडे व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवाकर 1 पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1 केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग करायी जाय।